



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सैल) Corporate Tax (GST CELL)

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, रैक्स- 8270, 8257

IInd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं०: 03/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2017-18

दिनांक: 10.08.2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विषय:- पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जी०एस०टी० से सम्बन्धित

दिशा-निर्देश

जैसा कि विदित है दिनांक 01.07.2017 से जी०एस०टी० लागू हो गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों जिसमें 01.07.2017 से पूर्व में लागू ईडी/सेल्स टैक्स/वैट तथा कन्सेशनल फार्म-सी दिये जाने का प्रावधान था, उन पर जी०एस०टी० प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है :-

1. Orders where price quoted are exclusive of taxes-

ऐसे अनुबन्ध जहां पूर्व में सामग्री की आपूर्ति हेतु एक्सवर्क्स दरें पैकिंग एवं फारवर्डिंग भाड़ा एवं बीमा आदि की दरें अनुबन्धों/क्रयादेशों में अंकित की गयी थी एवं यह प्रावधान था कि इनपर (एक्सवर्क्स दरों + पैकिंग एवं फारवर्डिंग को जोड़कर) लागू ई०डी० एवं सेल्सटैक्स अलग से वास्तविक दरों पर देय होता था। वर्तमान में जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात् इस प्रकार के अनुबन्धों में एक्सवर्क्स दरें + पैकिंग फारवर्डिंग + भाड़ा एवं बीमा को जोड़कर उस पर जी०एस०टी० की देयता होगी।

ज्ञात हो कि वर्तमान व्यवस्था में समग्र आपूर्ति (Composite Supply) की अवधारणा को शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत पैकिंग, फारवर्डिंग, भाड़ा एवं बीमा इत्यादि पर भी जी०एस०टी० लागू होगा।

2. Orders where price quoted are inclusive of taxes-

ऐसे अनुबन्ध जहां पूर्व में सामग्री की आपूर्ति हेतु दरें सभी टैक्स व दरों को सम्मिलित कर प्राप्त की गयी थी, इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता से टैक्स व दरों का ब्रेकअप ले लिया जाए एवं पुराने टैक्स के स्थान पर जी०एस०टी० लगा कर दरें परिवर्तित कर ली जायें।

ऐसे अनुबन्ध जहां टैक्स व दरों का ब्रेकअप लिया जाना सम्भव नहीं है, इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता को Counter offer दिया जाना उचित होगा जिसमें पुराने अनुबन्धों के अनुसार FOR destination price को Freeze करते हुए उस पर जी0एस0टी0 के भाग को लागू दरों पर गणना कर unload कर दिया जाए। इस प्रकार निगम पर कोई अतिरिक्त देय नहीं आएगा।

उदाहरण के तौर पर –

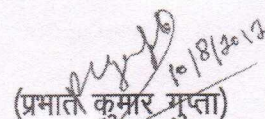
जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व		
– आपूर्ति राशि (सभी करों सहित)		₹ 100.00
जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात्		
– जी0एस0टी0 की दर	18 %	
– आपूर्ति राशि (Excluding GST)	$\frac{100}{118\%}$	₹ 84.75
– Add: जी0एस0टी0 @18%		₹ 15.25
– कुल आपूर्ति राशि (जी0एस0टी0 सहित)		₹ 100.00

आपूर्तिकर्ता द्वारा काउन्टर ऑफर स्वीकार न करने की स्थिति में उनके साथ किये गये अनुबन्धों को शार्ट क्लोज करना एवं उनको क्रयादेशित अवशेष मात्रा को न्यूनतम दर में देने वाले अन्य आपूर्तिकर्ता फर्मों से क्रय करना उचित होगा।

- ऐसे अनुबन्ध जहां में केन्द्रीय सेल्सटैक्स के नियमों के अनुसार फार्म-सी देने का प्रावधान था, जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् फार्म-सी की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। अतः तदनुसार अनुबन्धों में संशोधन आवश्यक होगा।
- Anti profiteering clause : CGST अधिनियम 2017 की धारा 171 के अनुसार जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् कर की दरों में आई कमी का लाभ विक्रेता द्वारा क्रेता को मूल्यों में कटौती के रूप में दिया जाना है। अतः पूर्व में निर्गत निविदाएं (जिनकी अवधि 01.07.2017 के पश्चात् पूरी होगी) एवं नयी निविदाओं में निम्नलिखित Anti profiteering clause जोड़ा जाना चाहिए :

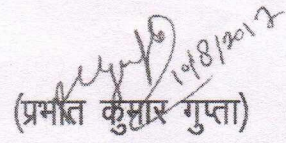
“As per section 171 of CGST Act 2017, Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Hence supplier/manufacturer to ensure to pass the benefit of reduced prices to UPPCL/UPPTCL. Further price quoted by supplier/manufacturer is subject to scrutiny under above section.”

- खण्ड/इकाईयां सुनिश्चित करेंगी कि जी0एस0टी0 लागू होने के कारण फर्मों द्वारा जी0एस0टी0 में पंजीकरण के उपरान्त जी0एस0टी0 प्रावधानों के अनुसार जो बीजक प्राप्त हो उन्हें पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों एवं उपरोक्तानुसार पारित किये जाये।


 (प्रभाकर कुमार मुप्ता)
 उप महाप्रबन्धक
 (कारपोरेट टैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित निगमों में लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित कम्पनी द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
- 2- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 3- उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ।
- 4- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 5- उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- 6- अनु सचिव (स० प्र० लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- अधिशाषी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 407, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(प्रभात कुमार गुप्ता)

उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)